रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266535
SG-DL-E-29092025-266535

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 259
No. 295]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 259

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

सं .फा. PS/DE/2025/104-— जबकि, दिल्ली में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में राजकीय विद्यालय स्थापित हैं।

और जबकि, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों, विशेष रूप से खंड 2 (पी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष चरित्र वाले विद्यालयों सहित 'विशेष श्रेणी' वाले विद्यालयों को परिभाषित करता है।

और जबकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) - 2020 और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई) - 2023 के दृष्टिकोण के अनुरूप, दिल्ली सरकार ने उन्नत, कौशल-आधारित और दक्षता-आधारित शिक्षा प्रदान करने वाले विशेष संस्थानों के रूप में **75 'सीएमश्री' विद्यालय** स्थापित करने का निर्णय लिया है।

इन विद्यालयों का लक्ष्य होगा:

i. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)- संचालित वैयक्तिक शिक्षण केंद्रों के माध्यम से भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करना

ii. डिजिटल अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम और बहु-विषयक पाठ्यक्रम को एकीकृत करना

iii. लचीली और कम मानसिक तनाव वाली आकलन प्रणाली के साथ छात्रों को वैश्विक मानकों के लिए तैयार करना

ये विद्यालय दो प्रकार के होंगे:- कक्षा नर्सरी से **या** कक्षा VI से, जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने के लिए अभियोग्यता परीक्षा (कक्षा VI एवं उच्चतर कक्षाओं में) के आधार पर प्रवेश होगा।

और जबकि, इन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कानून विभाग, योजना विभाग और वित्त विभाग द्वारा विधिवत जांचा गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा कैबिनेट बैठक संख्या 6 में कैबिनेट निर्णय संख्या 3198 दिनांक 10.05.2025 के तहत अनुमोदित किया गया है, जिसे फाइल संख्या एफ.53/724/जीएडी/सीएन/2025/1150-1159 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल दिल्ली को सूचित किया गया है।

अब, 'बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' की धारा-2 की उप-धारा (पी) के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल शिक्षा निदेशालय के तहत **'विशिष्ट श्रेणी'** वाले विद्यालयों के रूप में 75 सीएमश्री विद्यालयों की स्थापना को अधिसूचित करते हैं।

ये 'सीएमश्री' विद्यालय मिशन, उद्देश्य और शिक्षा मॉडल के संदर्भ में एक अलग पहचान रखेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम से,

वेदिता रेड्डी, आई ए एस, निदेशक (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 26th September, 2025

No. F. PS/DE/2025/104.— Whereas, Government Schools situated in Delhi are functioning under the aegis of the Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.

And whereas, attention is invited to the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, particularly clause 2(p) which defines "Specified Category" schools, including those with a distinct character as notified by the appropriate Government.

And whereas, in line with the vision of the National Education Policy (NEP) – 2020 and the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE) – 2023, the Government of NCT of Delhi has decided to establish **75 CM SHRI Schools** as specialized institutions providing advanced, skill-based and competency driven education.

These Schools shall aim to:

i. Provide futuristic education through AI-powered personalized learning hubs,

ii. Integrate digital learning, experiential pedagogy and multidisciplinary curriculum,

iii. Prepare students for global standards with a flexible and low-anxiety assessment system.

These schools shall be of two types: starting from class nursery **or** from class VI, with admission based on an aptitude test **(**in class VI and onwards**)** designed to identify talented students.

And whereas, the proposal for establishment of these schools has been duly vetted by the Law Department, Planning Department and Finance Department of GNCTD and approved by the Council of Ministers, GNCTD in Cabinet Meeting No. 6, Vide Cabinet Decision No. 3198 dated 10.05.2025, conveyed to Hon'ble LG Delhi via file No. F.53/724/GAD/CN/2025/1150-1159 dated 13.05.2025.

Now therefore, in pursuance of provisions of sub- section (p) of Section – 2 of the 'Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009', the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notify the establishment of 75 CM SHRI Schools as **"specified category"** schools under the Directorate of Education.

These CM SHRI Schools shall possess a distinct character in terms of mission, objective and education model.

By Order and in The Name of
The Lieutenant Governor of the NCT of Delhi,

VEDITHA REDDY, IAS, Director (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA